

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


: आदेश :

संख्या-9/पद-05-02/2007 (खण्ड), सा0प्र0 13708 /पटना-15 दिनांक 11-10-18

बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री चन्द्र भूषण कु0 सिंह, आशुलिपिक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार, आप्त सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना की दुर्गापूजा अवकाश में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई प्रतिनियुक्ति को रद्द करते हुए उनके बदले श्री रविशंकर, आप्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना एवं श्री राजा कुमार, आशुलिपिक, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को दिनांक-15.10.2018 से दिनांक-19.10.2018 तक के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है तथा दिनांक-15.10.2018 तक मुख्यमंत्री सचिवालय में योगदान किये जाने का निदेश भी दिया जाता है।

2 विभागीय आदेश सं0 13473 दिनांक 09.10.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेंगे।

3 उक्त कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 10281 दिनांक 27.09.1973 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान के आलोक में क्षतिपूरक छुट्टी का लाभ अनुमान्य होगा।



(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या-9/पद-05-02/2007(खण्ड), सा0प्र0 13708 /पटना-15 दिनांक 11-10-18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग / बिहार मानवाधिकार आयोग / बिहार राज्य खाद्य आयोग/राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।